



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा त्रयोदश सत्र अंक-06

रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2022
(फाल्गुन 23, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 12 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री धनेन्द्र साहू, अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 46 तारांकित एवं 69 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 03 पर चर्चा के दौरान माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री की सहमति पर माननीय अध्यक्ष ने जांच समिति बनाये जाने की घोषणा की।

2. अध्यक्षीय निर्देश

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिये कि माननीय मंत्रीगण प्वाइंटेड उत्तर दिया करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मंत्रीगण बेहतर ढंग से तैयारी करके आया करें। माननीय अध्यक्ष द्वारा विभागीय अधिकारियों से भी अपेक्षा की गई कि जो संभावित प्रश्न है उसके उत्तर मंत्रियों को बता दिया करें। बार-बार पर्ची और (चिट) भेजना ठीक नहीं है।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 10 पर चर्चा के दौरान श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।

4. राष्ट्रकुल दिवस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा अनौपचारिक उल्लेख

जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे कि समूचे विश्व में राष्ट्रकुल दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है।

तदनुसार, आज सोमवार, दिनांक 14 मार्च को “राष्ट्रकुल दिवस” पर राष्ट्रकुल देशों ने “Delivering a Common Future” अर्थात् “सुदृढ़ भविष्य हेतु समान अवसर प्रदान करना” को राष्ट्रकुल दिवस का विषय निर्धारित किया है।

राष्ट्रकुल देश, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे 53 स्वतंत्र देशों का एक संघ है, जिसमें एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप के देश शामिल हैं। विश्व की लगभग एक तिहाई आबादी राष्ट्रकुल में सम्मिलित है। यह राष्ट्रकुल विभिन्न धर्मों, जाति, संस्कृति, संप्रदाय एवं परंपराओं के नागरिकों का समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। यही हमारे गौरवशाली अतीत, सुनहरे भविष्य एवं समावेशी विकास का मुख्य आधार भी है।

आईये, हम सब “सुदृढ़ भविष्य हेतु समान अवसर प्रदान करना” विषय के मूलमंत्र को मानते हुए, इस अवसर पर राष्ट्रकुल परिवार के 54 देशों के लक्ष्यों को प्राप्त करने, जलवायु परिवर्तन की चुनौती का समाधान खोजने, सुशासन, आपसी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और जन सामान्य एवं विभिन्न समुदायों में सेवा का संकल्प लें।

आप सभी सम्माननीय सदस्यों को पुनश्च: राष्ट्रकुल दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

5. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधानसभा की लॉबी स्थित सदस्य कक्ष में दिनांक 15 मार्च, 2022 को एस.एम.सी.हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड आई.व्ही.एफ.रिसर्च सेन्टर द्वारा कार्डियक कैम्प प्रातः 11.00 बजे से 5.00 बजे तक आयोजित है। आप शिविर का लाभ उठायें।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18,

- (2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने दिनांक 17 तथा 18 मई, 2013 की दरमियानी रात को जिला बीजापुर के थाना जगरगुण्डा के ग्राम एडसमेटा मुठभेड की घटना के मामले में न्यायिक जांच आयोग प्रतिवेदन एवं उस पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण,
- (3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने :-
- (i) अधिसूचना क्रमांक 91/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2021, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र संरचना क्रियान्वयन) विनियम, 2021,
 - (ii) अधिसूचना क्रमांक 90/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2021, दिनांक 2 नवम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021,
 - (iii) अधिसूचना क्रमांक 92/सीएसईआरसी/2021, दिनांक 14 नवम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2021 तथा
 - (iv) अधिसूचना क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021, दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021,
- (4) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021, तथा
- (5) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 22 जनवरी, 2021, पटल पर रखे।

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

7. पूछा

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल एवं अन्य प्रतिपक्षी सदस्यों ने नया रायपुर में आंदोलनरत किसानों तथा प्रदेश में किसानों की समस्याओं के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की। माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को कक्ष में अग्राह्य कर दिया है।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को

देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.37 बजे स्थगित की जाकर 12.43 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने विशेषाधिकार भंग की सूचना का उल्लेख किया।

माननीय सभापति ने सूचित किया कि आपकी सूचना विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आज कार्यसूची में तीन विभागों की चर्चा है। धर्मस्व विभाग का प्रतिवेदन 11.00 बजे तक बंटा नहीं था और पर्यावरण, विधि विभाग के प्रतिवेदन आज बंटे हैं तो इसमें चर्चा कैसे होगी ?

माननीय सभापति ने कथन किया कि प्रशासकीय प्रतिवेदन 12/03/2022 को वितरित किये जा चुके हैं।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(1) श्री अरूण वोरा, सदस्य ने प्रदेश में कोरोना से मृतकों के परिवारों को मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में मंडी टैक्स में वृद्धि किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य ने न्यू विस्टा सीमेंट संयंत्र (ईमामी) द्वारा माईन्स का विस्तार किये जाने से जनजीवन प्रभावित होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

- (4) श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य ने बेमेतरा जिले के विकासखण्ड नवागढ़ की सहकारी सोसाइटी कुंवरा में धान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

चर्चा के दौरान श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्री द्वारा आपत्तिजनक शब्द कहे जाने पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति की।

माननीय सभापति ने कथन किया कि माननीय मंत्री जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया है मैंने उसको विलोपित कर दिया है। तथापि माननीय मंत्री जी अपने शब्दों को वापस लें, यदि वे खेद व्यक्त करते हैं तो इससे सदन की गरिमा में वृद्धि होगी।

(प्रतिपक्षी सदस्य गर्भ गृह में आये।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 1.58 बजे स्थगित की जाकर 2.42 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

10. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, ननकीराम कंवर, पुन्तूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, नारायण चन्देल, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा।

माननीय सभापति ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

11. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

- (1) श्री चंदन कश्यप
- (2) श्रीमती इन्दू बंजारे

- (3) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
(4) श्री किस्मतलाल नंद

12. वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 76, पुलिस विभाग से संबंधित मांग संख्या 3, गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या 4, जेल विभाग से संबंधित मांग संख्या 5, धार्मिक न्यास और धर्मस्व से संबंधित मांग संख्या 51, पर्यटन विभाग से संबंधित मांग संख्या 37 प्रस्तुत की।

13. निलंबन अवधि समाप्ति की घोषणा

माननीय सभापति ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के तहत निलंबित माननीय सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

14. व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय मंत्री जी को निर्देश दिये हैं, अब खेद व्यक्त करना या न करना, माननीय मंत्री जी के विवेक पर छोड़ता हूं। सदन की कार्यवाही चलने दी जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर आपत्ति की।

माननीय सभापति द्वारा माननीय सदस्यों के अनुरोध पर फिर से कटौती प्रस्ताव पढ़े गये लेकिन यह निर्देशित किया गया कि यह उदाहरण नहीं बनना चाहिए।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री से उनके द्वारा व्यक्त किये गये कथन का उल्लेख करते हुए उनसे खेद व्यक्त करने का अनुरोध किया।

खाद्य मंत्री द्वारा खेद व्यक्त नहीं किये जाने पर श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष द्वारा खाद्य मंत्री से सदन के शेष बचे हुए समय में प्रश्न नहीं पूछने एवं उनके विभाग में चर्चा नहीं करने और सदन में उनका बहिष्कार करने का कथन किया गया।

15. वर्ष 2022-2023 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

मांग संख्या-24 पर श्री धरमलाल कौशिक, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, ननकीराम कंवर, धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, डमरूधर पुजारी, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, **मांग संख्या-67** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, डमरूधर पुजारी, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-76** पर सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा,

मांग संख्या-3 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, ननकीराम कंवर, सौरभ सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा, डमरूधर पुजारी, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-4** पर सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, रजनीश सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-5** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, ननकीराम कंवर, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-51** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-37** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, ननकीराम कंवर, डमरूधर पुजारी, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, आशीष कुमार छाबड़ा, धर्मजीत सिंह, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री ननकीराम कंवर, केशव प्रसाद चन्द्रा,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल, नारायण चंदेल, रामकुमार यादव,

(सभापति महोदय (श्री बघेल लखेश्वर) पीठासीन हुए।)

श्रीमती इन्दू बंजारे, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री बृजमोहन अग्रवाल

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

**कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

(2) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या 29, परिवहन से संबंधित मांग संख्या 36, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21, वन से संबंधित मांग संख्या 10, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-29 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, **मांग संख्या-36** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, **मांग संख्या-21** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, सौरभ सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, धर्मजीत सिंह, **मांग संख्या-10** पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.विनय जायसवाल, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा,

श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, ने चर्चा का उत्तर दिया ।

**कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

(3) श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 55, समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या 34, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-55 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, केशव प्रसाद चन्द्रा, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, **मांग संख्या-34** पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा,

श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 09.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2022 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

चन्द्र शेखर गंगराडे
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा